

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2019

क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपरिचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधन नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटारिंग समिति का पुनर्गठन करता है.

1.	माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
4.	डॉ. शिवकुमार डहरिया, माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम विभाग	सदस्य
5.	श्री गुरू रूद्र कुमार, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग विभाग.	सदस्य
6.	श्री कवासी लखमा, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.	सदस्य
7.	श्रीमती अनिला भेड़िया, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग.	सदस्य
8.	श्री विक्रम उसेंडी, माननीय लोकसभा सदस्य, कांकेर	सदस्य
9.	श्री दिनेश कश्यप, माननीय लोकसभा सदस्य, बस्तर	सदस्य
10.	श्री विष्णुदेव साय, माननीय लोकसभा सदस्य, रायगढ़	सदस्य
11.	श्रीमती कमला देवी पाटले, माननीय लोकसभा सदस्य, जांजगीर-चाम्पा	सदस्य
12.	श्री कमलभान सिंह मरावी, माननीय लोकसभा सदस्य, सरगुजा	सदस्य
13.	श्री रामविचार नेताम, माननीय राज्यसभा सदस्य, रामानुजगंज	सदस्य
14.	श्री गुलाब कमरो, माननीय विधायक भरतपुर-सोनहत	सदस्य
15.	श्री खेल साय सिंह माननीय विधायक प्रेमनगर	सदस्य
16.	श्री बृहस्पत सिंह, माननीय विधायक रामानुजगंज	सदस्य
17.	श्री चिन्तामणि महाराज, माननीय विधायक सामरी	सदस्य
18.	डॉ. प्रीतम राम, माननीय विधायक लुण्डा	सदस्य
19.	श्री अमरजीत भगत, माननीय विधायक सीतापुर	सदस्य
20.	श्री विनय कुमार भगत, माननीय विधायक जशपुर	सदस्य
21.	श्री यू.डी.मिंज, माननीय विधायक कुनकुरी	सदस्य
22.	श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, माननीय विधायक पत्थलगांव	सदस्य
23.	श्री चक्रधर सिंह सिदार, माननीय विधायक लैलूंगा	सदस्य
24.	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, माननीय विधायक सारंगढ़	सदस्य
25.	श्री लालजीत सिंह राठिया, माननीय विधायक धर्मजयगढ़	सदस्य
26.	श्री ननकी राम कंवर, माननीय विधायक रामपुर	सदस्य
27.	श्री पुरूषोत्तम कंवर, माननीय विधायक कटघोरा	सदस्य
28.	श्री मोहित राम, माननीय विधायक, पाली-तानाखार	सदस्य
29.	श्री अजीत जोगी, माननीय विधायक मरवाही	सदस्य
30.	श्री पुनूलाल मोहले, माननीय विधायक मुंगेली	सदस्य
31.	श्री कृष्णमूर्ति बांधी, माननीय विधायक मस्तूरी	सदस्य
32.	सुश्री इन्दू बंजारे, माननीय विधायक पामगढ़	सदस्य
33.	श्री किस्मत लाल नन्द, माननीय विधायक सराईपाली	सदस्य
34.	श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, माननीय विधायक बसना	सदस्य
35.	श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय, माननीय विधायक बिलाईगढ़	सदस्य

36.	श्री डमरूधर पुजारी, माननीय विधायक बिन्द्रानवागढ़	सदस्य
37.	डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, माननीय विधायक सिहावा	सदस्य
38.	श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे, माननीय विधायक नवागढ़	सदस्य
39.	श्री भुनेश्वर शोभा राम बघेल, माननीय विधायक डोंगरगढ़	सदस्य
40.	श्री इन्द्रशाह मंडावी, माननीय विधायक मोहला-मानपुर	सदस्य
41.	श्री अनूप नाग, माननीय विधायक अंतागढ़	सदस्य
42.	श्री मनोज सिंह मण्डावी, माननीय विधायक, भानुप्रतापपुर	सदस्य
43.	श्री शिशुपाल सोरी, माननीय विधायक कांकेर	सदस्य
44.	श्री संत राम नेताम, माननीय विधायक केशकाल	सदस्य
45.	श्री मोहन मरकाम, माननीय विधायक कोन्डागांव	सदस्य
46.	श्री चंदन कश्यप, माननीय विधायक नारायणपुर	सदस्य
47.	श्री बघेल लखेश्वर, माननीय विधायक बस्तर	सदस्य
48.	श्री दीपक बैज, माननीय विधायक चित्रकोट	सदस्य
49.	श्री भीमा मण्डावी, माननीय विधायक दन्तेवाड़ा	सदस्य
50.	श्री विक्रम मण्डावी, माननीय विधायक बीजापुर	सदस्य
51.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन सदस्य
52.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
53.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
54.	निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	पदेन सदस्य
55.	भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, आ.जा. तथा अनु. जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य/संयोजक

2. यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबंधों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अधिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2019

क्रमांक एफ 1-02/2019/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-4 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री कौशलेन्द्र कुमार (1992) मुख्य वन संरक्षक.	कार्यकारी संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, (प्रतिनियुक्ति पर)	मुख्य वन संरक्षक (ईको-टूरिज्म एवं बायोडायवर्सिटी) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) (प्रतिनियुक्ति से वापस)